डिफेंस कॉरिडोर में प्रति हेक्टेयर होगा न्यूनतम 7.5 करोड़ का निवेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयों के लिए प्रति हेक्टेयर कम से कम न्यूनतम रु 7.5 करोड़ की सीमा तय कर दी गई है।

अब प्रति हेक्टेयर इस सीमा से कम निवेश नहीं हो सकेगा। अभी तक उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में भूमि आवंटन के लिए निवेश की प्रति हेक्टेयर न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा, लीडा एवं सीडा आदि प्राधिकरणों में यह व्यवस्था पहले से है। अब यह व्यवस्था यूपीडा में भी लागू की गई है। वैसे निर्धारित दर के अनुसार निवेश का मानक 17.5 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर होता हैं लेकिन रक्षा उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए यह दर कम की गई है।